

## BENEFICIARIES DATA AT A GLANCE

Name of DLSA :	<b>Ranchi.</b>
Date Empowerment Camp :	<b>26<sup>th</sup> of August, 2018</b>
Venue of Empowerment Camp :	<b>Village-Jaratoli, Panchayat-Baram, Block-Namkum, Ranchi</b>
Main Theme of the Camp :	<b>For the benefit of Tribal people of Jharkhand, Victims of Trafficking, Women, Widows, differently abled persons belonging to the most marginalized sections of society.</b>

विभाग : राँची समाहरणालय, राँची				
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि	अभियुक्ति
1	नक्सली हिंसा में पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा	5	₹0 2,00,000	नक्सली हिंसा में मारे गये स्व. राकेश महतो के आश्रित भाई श्री मनोज कुमार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना नक्सली हिंसा में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा रूपया 50,000/- प्रति व्यक्ति

विभाग : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची (कल्याण विभाग)				
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि	अभियुक्ति
2	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	144374	₹0 16,03,95,000	प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 4) को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीना तक हॉस्टलर को 150/- ₹0 एवं डे-स्कालर को 50/- ₹0 देय होगा। मध्य विद्यालय (वर्ग 5 से 6) को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीना तक हॉस्टलर को 150/- ₹0 एवं डे-स्कालर को 100/- ₹0 देय होगा। उच्च विद्यालय (वर्ग 7 से 10) को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीना तक हॉस्टलर को 200/- ₹0 एवं डे-स्कालर को 150/- ₹0 देय होगा।
	साईकिल वितरण	17263	₹0 5,17,89,000	सरकारी विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं का सरकार द्वारा निर्धारित दर पर साईकिल वितरण हेतु राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से देय होगा।

चिकित्सा अनुदान	99	रु0 4,31,000	एक बीमारी हेतु लाभुकों को एक ही बार योजना का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर रोगों की सूची, चिकित्सीय व्यय की अधिकतम अधिसीमा तथा सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची में किये गये संशोधन/परिमार्जन किया जाता है।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा	16	रु0 10,56,250	मुआवजा सम्बंधित प्रावाधान पृष्ठ 26 से 33 में वर्णित है।
<b>वन अधिकार अधिनियम</b>			
व्यक्तिक पट्टा	1617	752.528 Acre	इसके तहत लघु वन उत्पाद पर व्यक्ति अथवा समुदाय को हक दिया जाता है।
सामुदायिक पट्टा	24	3302.27 Acre	
<b>कुल</b>	<b>163393</b>	<b>21,36,71,250</b>	

**विभाग : जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, राँची**

क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि	अभियुक्ति
3	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	114050	रु0 27,37,00,800	रु0 600 प्रतिमाह प्रति लाभुक

**विभाग : श्रम विभाग, राँची**

क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि	अभियुक्ति
4	मातृत्व प्रसुविधा योजना	43	रु0 3,43,575	6 सप्ताह के अकुशल श्रमिकों के लिए देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
	अंत्येष्टि सहायता योजना	5	रु0 25,000	मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 5,000/- रुपये का भुगतान परिवार के सदस्यों को।

मेधावी पुत्र/ पुत्री छात्रवृत्ति योजना	22	रु0 25,000	कक्षा 1 से 5 तक छात्र-500/- छात्रा-750/- कक्षा 6 से 8 तक छात्र-750/- छात्रा-1000/- कक्षा 9 से 12 तक छात्र-1000/- छात्रा-1500/- स्नातक कक्षा यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, डिप्लोमा आदि छात्र-1500/- छात्रा-2500/- स्नातकोत्तर कक्षा यथा एम.ए., एम.एस. सी, एम.कॉम. स्नातकोत्तर, डिप्लोमा इत्यादि छात्र-2500/- छात्रा-3000/- स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर (इंजिनियरिंग तथा मेडिक छोड़कर) छात्र-3000/- छात्रा-4000/- इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में छात्र-10000/- छात्रा-1000/-
श्रमिक सेफ्टी किट योजना	2522	रु0 8,42,600	इसके तहत भवन निर्माण श्रमिक को सुरक्षा उपकरण, यथा, हेलमेट, जैकेट, इत्यादि दिए जाते हैं।
श्रमिक औजार सहायता योजना	1404	रु0 35,10,000	पात्रता के अनुरूप औजार किट का लाभ दिया जाता है।
साइकिल सहायता योजना	286	रु0 10,01,000	पात्रता के अनुरूप साइकिल सहायता योजना का लाभ दिया जाता है। निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिक को एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों एवं उन्होंने अगले एक वर्ष का अंशदान जमा किया हो।
परिवार पेंशन योजना	1	रु0 12,137	पेंशन का 50 प्रतिशत या 300/- रुपया अधिकतम का भुगतान।
पेंशन योजना	6	रु0 34,500	500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है एवं पाँच वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए 25/- रुपये की वृद्धि होगी।
आम आदमी बीमा योजना	435	रु0 43,500	बीमित व्यक्ति के स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000/- की राशि उसके आश्रितों को दी जाती है। दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उन्हें 75,000/- की दर से राशि दी जाती है। आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,000/- की राशि दी जाती है। दो बच्चों को जो कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं अथवा आईटीआई में पढ़ते हैं 4 वर्ष के लिए 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के लिए बीमित व्यक्तियों को कोई राशि नहीं देनी होती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	8430	रु0 59,806	इसके तहत वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना	11502	रु0 18,97,830	इसके तहत वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपये में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
विवाह सहायता योजना	2	रु0 35,000	दो संतानों के विवाह हेतु 50,000/- रुपये की सहायता।
झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना	12	रु0 8,50,000	इसके तहत मृत्यु होने पर 2,00,000/- रुपये एवं दुर्घटना होने पर 30,000/- रुपये दिए जाते हैं।
<b>कुल</b>	<b>24670</b>	<b>86,79,948</b>	

विभाग : जिला समाज कल्याण कार्यालय, राँची			
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	अभियुक्ति
5	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना समेत अन्य योजना	32	6000/- प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से निवेश किया जाता है। 18 वर्ष अथवा विवाह होने पर एकमुश्त राशि लाभुकों को प्रदान की जाती है। राशि की गणना डाक विभाग द्वारा उस समय के प्रचलित दर पर किया जाता है।

विभाग : झारखण्ड राज्य आजिविका संवर्धन विभाग			
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि
6	क्रेडिट लिंकेज, रिवाँलविंग फंड आदि	165	रु0 1,30,10,000

विभाग : जिला गव्य विकास कार्यालय, राँची			
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि
7	दुधारू गाय वितरण योजनान्तर्गत	21	रु0 9,45,000

विभाग : पशुपालन विभाग, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
8	पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान तथा पशुओं को टीकाकरण योजना	28489

विभाग : जिला उद्यान कार्यालय, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
9	कृषि कल्याण योजना जिसके अन्तर्गत लाभुकों को वाणिकी में मदद की जाती है	2500



विभाग : असैनिक शल्य चिकित्सा विभाग, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
10	जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इम्युनाईजेशन, परिवार नियोजन, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा आदि योजना	408643



विभाग : जिला कृषि कार्यालय, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
11	स्प्रेयर वितरण, सॉयल हेल्थ कार्ड तथा कृषि यंत्र (पंपसेट) वितरण योजना	15



विभाग : जिला मत्स्य कार्यालय, राँची			
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि
12	मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण, बीज उत्पादकों को स्पॉन संचयन आदि योजना	12249	रू0 85,52,200

विभाग : झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
13	कक्षा 01 से 08 तक के छात्र/ छात्राओं को पुस्तक, पोशाक, स्कूल किट, टैब का वितरण	654576



विभाग : कौशल विकास		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
14	कौशल विकास योजना के तहत पंजीकरण, प्रशिक्षण तथा रोजगार योजना	29223 जिसमें 4243 को रोजगार दिया गया

विभाग : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
15	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	20954
	मनरेगा जॉब कार्ड	309598
	<b>कुल</b>	<b>330552</b>



विभाग : जिला अग्रणी बैंक, राँची				
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि	अभियुक्ति
16	अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजना	130752	रु० 21,14,83,400	इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है। इसमें 20 वर्ष तक प्रतिमाह राशि जमा करना होगी एवं उसके बाद जमा की गई राशि के अनुसार 1000 से लेकर 5000 रुपये तक प्रतिमाह मिलता है।

विभाग : जिला आपूर्ति कार्यालय, राँची		
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या
17	अन्नपूर्णा योजना, उज्जवला योजना समेत अन्य योजना जो विभाग द्वारा संचालित है	137761



विभाग : जिला विधिक सेवा प्राधिकार राँची (गृह विभाग, झारखण्ड द्वारा वित्त प्रदत्त)			
क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत किये गये लाभुकों की संख्या	राशि
18	झारखण्ड पीड़ित मुआवजा योजना 2016	22	रु० 34,90,000
	झारखण्ड पीड़ित कल्याण कोष नियमावली 2014	21	रु० 2,91,049
	वज्रपात पीड़ितों को डालसा राँची द्वारा प्रदत्त मुआवजा	3	रु० 15,000
	कुल	46	रु० 37,96,049

स्वीकृत किये गये कुल लाभुकों की संख्या : 2037142  
कुल वितरित राशि : रु० 73,38,38,447